उत्तरांचल शासन,
आवास एवं शहरी विकास अनुभाग,
संख्या-3379/V/ श0वि0-आ0-2004-64 (एच0के0एम0)/2003
देहरादूनः दिनांकः 30 जुलाई,2004

कार्यालय-ज्ञाप

अर्द्धकुम्भ मेला-2004 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नियन्त्रण में ली गयी भूमि तथा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों आदि की सुरक्षा एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करने तथा आगामी कुम्भ मेले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयुक्त गढ़वाल मण्डल, की अध्यक्षता में एक "कुम्भ क्षेत्र नियन्त्रण एवं व्यवस्था समिति" गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,	अध्यक्ष
2. मा0 संसद सदस्य, हरिद्वार	सदस्य
3. मा0 विधायकगण, जनपद हरिद्वार,ऋषिकेश, नरेन्द्र नगर, यमकेश्वर	सदस्य
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, गढ़वाल	सदस्य
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार,देहरादून, गढ़वाल एवं टिहरी	सदस्य
6. उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	सदस्य/सचिव।
7. पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार, देहरादून, गढ़वाल एवं टिहरी	सदस्य
8. अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
10. महाप्रबन्धक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन, देहरादून	सदस्य
11. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, हरिद्वार	सदस्य
12. अध्यक्ष, जिला परिषद, हरिद्वार।	सदस्य
13. अध्यक्ष,न0पा0परि0,हरिद्वार/ऋषिकेश/नगर पंचायत,मुनिकीरेती।	सदस्य
14. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई/लो0नि0वि0/जलनिगम/जल संस्थान	सदस्य
15. निदेशक, राजाजी पार्क/प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
16. रेलवे एवं दूरसंचार विभाग के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
17. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तरांचल परिवहन निगम, देहरादून	सदस्य
18. महाप्रबन्धक, बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार	सदस्य
19. ऑफिसर कमाण्डिंग, बंगाल इन्जीनियरिंग ग्रुप, रूड़की	सदस्य
20. अखाड़ा परिषद्, हरिद्वार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
21. श्री गंगासभा हरिद्वार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
22. धमशाला महासंघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
23. अध्यक्ष, सेवा समिति, हरिद्वार।	सदस्य
24. नगर व्यापार मण्डल, हरिद्वार का एक प्रतिनिधि।	सदस्य

(2) उक्त समिति के दायित्व निम्नानुसार होंगे:-

1. मेला भूमि पर निगरानी।
2. मेला अभिलेखों का रखरखाव।
3. मेला क्षेत्र का GIS MAP एवं Digitisation ।
4. मेला क्षेत्र में भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु समेकित योजना तैयार करना।
5. मेला क्षेत्र में सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण सुनिश्चित करना।

6. समय–समय पर होने वाले विभिन्न स्थानीय मेलों एवं स्नान पर्वों से सम्बन्धित नीति विषयक मामलों में संस्तुति प्रस्तुत करना।
7. आवश्यकतानुसार उपयुक्त मामलों में शासन को संस्तुति प्रस्तुत करना।

(3) उक्त समिति का मुख्यालय नव–निर्मित मेला नियन्त्रण भवन में स्थापित किया जायेगा।

(4) यह समिति स्थायी रूप से कार्य करती रहेगी तथा समिति की बैठक का आयोजन तीन माह में कम से कम एक बार किया जायेगा।

(5) उक्त समिति के कार्यालय व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकतानुसार कार्मिक हरिद्वार विकास प्राधिकरण से समिति के मुख्यालय में स्थापित किये जायेंगे।

(डा0एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

संख्या–337/I/शा0वि0–आ0–2004–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
(3) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
(4) जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी।
(5) मेलाधिकारी, हरिद्वार अर्द्धकुम्भ–2004 को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया समिति के समस्त मा0 सदस्यों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
(6) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
(7) समिति के समस्त मा0 सदस्यगण।
(8) निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
(9) गार्ड बुक
(10) N.I.C. देहरादून को अभिलेख हेतु।

आज्ञा से,

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव।